



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42081

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2540/2026

संजय कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, जय विश्वनाथ पांडे, वरिष्ठ

अधिवक्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री दिव्य ज्योति ने की (जो सुश्री आर्य गौतम, रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित थे), और श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं।
2. विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने बार में एक बयान दिया है कि वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 02.12.2015 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था; हालाँकि, इस आरोप पर कि रिट याचिकाकर्ता कांस्टेबल संजय कुमार के साथ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था, और आचरण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था, तथा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद, एक अन्य मालवाहक वाहन से अवैध रिश्वत की मांग कर रहा था, रिट याचिकाकर्ता को 03.12.2025 को 'उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक के अधिकारी (दंड और अपील) नियमावली, 1991' के नियम 17(1)(ए) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया।
4. उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए, यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 03.12.2025 को 'उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक के अधिकारी (दंड और अपील) नियमावली, 1991' के नियम 17(1)(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जाँच की प्रत्याशा में निलंबित किया गया था, लेकिन अब 04.12.2025 के एक संचार (पत्र) के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रारंभिक जाँच का आदेश देने का निर्देश दिया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी है कि रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश सही नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब निलंबन आदेश से पहले एक शुरुआती जांच की जानी हो; यह क्रम उल्टा नहीं हो सकता कि पहले निलंबन आदेश पारित किया जाए और फिर शुरुआती जांच की जाए। इस संबंध में, इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया गया है - सच्चिदानंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य (रिट-ए संख्या 69308/2013, दिनांक 17.12.2013 को निस्तारित)। इस फैसले की एक प्रति रिट याचिका के अनुबंध-5 के रूप में संलग्न की गई है। इस फैसले में न्यायालय ने यह राय व्यक्त की थी कि यद्यपि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच की प्रत्याशा में निलंबित करना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियोक्ता का विशेषाधिकार है, तथापि, जब सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लेने से पूर्व कि नियमित विभागीय जांच की जानी चाहिए अथवा नहीं, सर्वप्रथम एक प्रारंभिक तथ्य-खोज जांच करना उचित समझा हो, तो इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि उस समय कोई नियमित विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी; और ऐसी स्थिति में, इसे 'विभागीय जांच/कार्यवाही की प्रत्याशा में किया गया निलंबन' नहीं कहा जा सकता।

6. दूसरी ओर, सरकारी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जिन आरोपों के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है, वे अत्यंत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं। तथापि, दिनांक 04.12.2025 के पत्राचार के माध्यम से, निलंबन के उपरांत एक प्रारंभिक जांच किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
7. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निलंबन आदेश के बाद एक प्रारंभिक जांच आयोजित करने हेतु पत्राचार किया गया है—जबकि निलंबन का सहारा केवल प्रारंभिक जांच संपन्न होने के उपरांत ही लिया जाना चाहिए (यदि उसकी आवश्यकता हो)—इस न्यायालय की राय में, सच्चिदानंद नाथ त्रिपाठी (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, वर्तमान आक्षेपित आदेश को सही नहीं ठहराया जा सकता।
8. तदनुसार, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है, और प्रतिवादी संख्या-3 (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़) द्वारा दिनांक 03.12.2025 को पारित वह आदेश, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, निरस्त किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे प्रारंभिक जांच संपन्न होने के उपरांत, विधि के अनुरूप पूर्णतः एक नया आदेश पारित करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”